

अनुक्रमांक _____

ट्रेड मार्क्स एजेंट परीक्षा, 2023
[व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 148 के तहत]

पत्र-II

समय: 02.30 से 05.30 PM (तीन घंटे)

पूर्णांक 100

अनुदेश :

1. इस पत्र के तीन भाग हैं – भाग 'क' (20 अंक), भाग 'ख' (30 अंक) और भाग 'ग' (50 अंक)।
2. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. अभ्यर्थी उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।
4. परीक्षा के दौरान किसी तकनीकी / विधायी मामले के प्रश्न पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा।
5. "अधिनियम" और "नियम" के सभी संदर्भ को क्रमशः व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और व्यापार चिह्न नियम, 2017 समझा जाएगा जैसा कि अब तक संशोधित और प्रयुक्त हुआ है।
6. अभ्यर्थी को, जहां भी अपेक्षित हो, संबद्ध अधिनियम और नियम का उल्लेख निर्धारित फीस और फॉर्म के साथ करना होगा।

भाग क

4 प्रश्न X 5 अंक = 20 अंक

1. ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री के SIPP स्कीम और स्टार्टअप की सहायता करने में फ़ैसिलिटेटर की भूमिका की चर्चा करें।
2. श्री सुनील बजाज अपने ट्रेड मार्क **BAJAJ** का उपयोग 12.10.1992 से कर रहे हैं और उन्होंने उस मार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए 15.02.2004 को आवेदन किया है। ट्रेड मार्क जर्नल सं. 2317 में उस मार्क के प्रकाशन के बाद, सुज्ञात ट्रेड मार्क **BAJAJ** के प्रोपराइटर ने रजिस्ट्रेशन पर आपत्ति जताई है। यदि आप श्री सुनील बजाज के एजेंट हों तो आप अपने मुवक्किल का बचाव कैसे करेंगे?
3. श्री अखिलेश ने हरियाणा राज्य में साइकिल के निर्माण के लिए ट्रेड मार्क '**ZIFFY**' का आवेदन किया है। अपने परीक्षण रिपोर्ट में ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 की धारा 11 के तहत आपत्ति उठाई गई है और समान मार्क '**ZIFFY**' दिखाया है। दिखाए गए मार्क को साइकिल के पाटर्स बनाने के लिए रजिस्टर किया गया है जो तमिल नाडु और कर्नाटक राज्य के व्यवसाय क्षेत्र के लिए रजिस्टर हैं। क्या अखिलेश का मार्क रजिस्टर किया जा सकता है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में? अपने उत्तर के समर्थन में संगत अधिनियम और नियम का उल्लेख करें।

4. श्री अजय वर्ग 33 में एक शब्द मार्क 'Whisquer' का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। उनका ट्रेड मार्क एजेंट होते हुए आप अपने मुवक्किल को उसकी प्रयोग के वर्ग में रजिस्टर होने के बारे में क्या सलाह देंगे?

खंड ख

3 प्रश्न X 10 अंक = 30 अंक

orange™

5. मेसर्स मिचेल प्रा. ली. एक कंपनी ने वर्ग 25 में एक डिवाइस मार्क के लिए आवेदन किया है। परीक्षण के दौरान उसपर परीक्षक ने अधिनियम की धारा 9(2)(क) और 11 के तहत उसपर आपत्ति उठाई है। अपने परीक्षण रिपोर्ट में परीक्षक ने **ORANG and AURANGE** शब्द चिह्न का उदाहरण दिया है। उस परीक्षण रिपोर्ट का एक जवाब तैयार करें।

GO
SERVICES

6. मेसर्स आकाश प्रा. ली. एक कंपनी ने वर्ग 35 में एक डिवाइस मार्क बिजनेस मैनेजमेंट सेवा के लिए आवेदन किया है। अपने आवेदन में कंपनी ने 01.08.2022 से उस ट्रेड मार्क के प्रयोग का दावा किया है। परीक्षण के दौरान परीक्षक ने अधिनियम की धारा 9(1)(क) के तहत आपत्ति की है और उपयोक्ता को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। उपयोक्ता के हलफनामे के साथ परीक्षण रिपोर्ट का जवाब तैयार करें।

7. मेसर्स राकेश प्रा. ली. एक कंपनी ने दूध के लिए वर्ग 29 में शब्द मार्क **Kaveri** के लिए आवेदन किया है। परीक्षण के दौरान इस पर परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 11 के तहत आपत्ति की है और दिखाया है कि शब्द मार्क **Kaweri** वर्ग 29 में पनीर के लिए रजिस्टर किया हुआ है। उपयुक्त केस विधान के साथ इस परीक्षण रिपोर्ट का जवाब तैयार करें।

खंड ग

2 प्रश्न X 25 अंक = 50 अंक

8. एक आवेदक होलवो ईकोपेरिशन ने 14.07.2016 को शब्द चिह्न 'HOLVO' ("रद्द ट्रेड मार्क") के रजिस्ट्रेशन के लिए वर्तमान आवेदन किया है और इस वस्तु को 'वर्ग 6 में शामिल वस्तुओं जैसे दरवाजे के होल्डर और कैचर' के रूप में 06.06.2016 से प्रयोग करने का दावा किया है जो अधिनियम की धारा 20(1) के प्रावधानों के तहत स्वीकृति से पहले ही ट्रेड मार्क जर्नल सं. 1077 में 01.10.2017 को विज्ञापित हुआ था और 16.11.2017 को सार्वजनिक किया गया था।

VOLVO

ट्रेड मार्क **VOLVO** को वॉल्वो कार कॉर्पोरेशन (इसके बाद उसे विरोधकर्ता कहा गया है) ने इसे 05.05.1915 को अपना लिया था। विरोधकर्ता 'VOLVO' ट्रेड मार्क के प्रोपराइटर हैं। ट्रेड मार्क 'VOLVO' विरोधकर्ता और उसकी समूह कंपनियों के कॉर्पोरेट नाम और ट्रेडिंग तरीके के लिए एक महत्वपूर्ण, आवश्यक और मुख्य भाग है तथा यह भारत में वर्ग 6 सहित विभिन्न वर्गों में रजिस्टर किया हुआ है।

दिए हुए तथ्य के आधार पर विरोध का एक नोटिस तैयार करें, सभी संभव दलील और अनुमान को शामिल करते हुए वर्तमान आवेदन का विरोध करने के लिए अपना आवेदन तैयार करें जिसमें सभी संबद्ध नियम और धाराओं का उल्लेख करें, यदि कोई हो।

9. आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक कंपनी मेसर्स पोलक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद जिसे आवेदक कहा गया है) ने 1 नवंबर, 2014 को वर्ग-30 में शामिल 'आइस क्रीम और अन्य



वस्तुओं के संदर्भ में पोलर बियर (डिवाइस) मार्क रजिस्टर करने के लिए आवेदन दाखिल किया है जिसमें 30 सितंबर, 2012 तक मार्क के प्रयोग का दावा किया है। उस आवेदन का परीक्षण

किया गया और अधिनियम की धारा 20(1) के प्रावधान के तहत स्वीकृति के पहले मार्क को 'आइस क्रीम ज़ोन के शब्द पर कोई अधिकार नहीं' के शर्तों के तहत विज्ञापित किया गया था। उक्त मार्क ट्रेड मार्क जर्नल सं. 1159 में दिनांक 15 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित किया गया था और 2 अगस्त, 2015 को सार्वजनिक किया गया था।

उस आवेदन का विरोध मेसर्स मोलर प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद जिसे विरोधकर्ता कहा गया है) पंखे, पानी निकालने के पंप, बहुत प्रकार के घर और रसोई के उपकरण और लाइटिंग उपकरण जैसे अनेक प्रकार के उत्पाद के निर्माण और व्यापार के व्यवसाय से जुड़े हैं। विरोधकर्ता वर्ग 07, 11 और 21 के तहत डिवाइस



मार्क के रजिस्टर प्रोपराइटर हैं। वर्ग 30 में विरोधकर्ता का डिवाइस मार्क POLAR बिस्किट, चाय, कॉफी, पेस्ट्री और कनफेक्शनरी, ब्रेड बनाने के लिए रजिस्टर है। अपने विरोध नोटिस में यह दलील दी गई है कि आवेदक का मार्क विरोधकर्ता के मार्क से समरूप और भ्रामक रूप से समान हैं। साथ ही, रद्द किए गए सामान विरोधकर्ता के उक्त सामान और व्यवसाय के समान/ समरूप/ संबद्ध/सजातीय वर्णन वाले हैं जिससे आवेदक के मार्क को रजिस्टर करने से बाज़ार और व्यापार में भ्रम तथा भूल का कारण बनेंगे और विरोधकर्ता के व्यापार और ट्रेड के लिए घातक होंगे। यह ट्रेड और आम लोगों के मन में ऐसी स्थिति बनाएगा कि भारत में वे विरोधकर्ता के लाइसेंस हैं या यह कि वे किसी तरह से विरोधकर्ता से संबद्ध हैं। साथ ही यह कि आवेदक और विरोधकर्ता की व्यवसाय गतिविधि समान एवं समरूप है या यह कि विरोधकर्ता का अधिकार आवेदक की उस व्यवसाय गतिविधि तक जाता है जो प्रकृति में विरोधकर्ता से संबद्ध और सजातीय हैं। अतः विरोधकर्ता निवेदन करता है कि आवेदक का रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 9, 11 और 18 के तहत निरस्त कर दिया जाय।

दिए हुए तथ्य के आधार पर विरोध का एक नोटिस तैयार करें, सभी संभव दलील और अनुमान को शामिल करते हुए विरोधकर्ता के तर्क का विरोध करने के लिए अपना आवेदन तैयार करें जिसमें सभी संबद्ध नियम और धाराओं का उल्लेख करें, यदि कोई हो।
